Part II: Citizenship

Part II of the Constitution of India deals with Citizenship. It contains provisions regarding the citizenship of persons at the commencement of the Constitution, the acquisition and termination of citizenship, and the rights and privileges of citizens.

Articles 5 to 11 deal with citizenship. Article 5 provides that every person who was a citizen of India at the commencement of the Constitution continues to be a citizen of India. Article 6 deals with the rights of migrants from Pakistan to become citizens of India.

Article 7 provides that citizenship can be acquired by birth within the territory of India or by descent from parents who are citizens of India. Article 8 allows for the acquisition of citizenship by registration or naturalization.

Article 9 prohibits citizens of India from being deprived of their citizenship and Article 10 lays down the procedure for the renunciation of Indian citizenship.

Article 11 empowers the Parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship.

Overall, Part II of the Constitution of India provides the legal framework for the citizenship of persons in India and sets out the rights and privileges of citizens.

भाग II: नागरिकता

भारत के संविधान का भाग II नागरिकता से संबंधित है। इसमें संविधान के प्रारंभ में व्यक्तियों की नागरिकता, नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति, और नागरिकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के संबंध में प्रावधान शामिल हैं।

अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित हैं। अनुच्छेद 5 प्रदान करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ में भारत का नागरिक था, भारत का नागरिक बना रहेगा। अनुच्छेद 6 भारत के नागरिक बनने के लिए पाकिस्तान से प्रवासियों के अधिकारों से संबंधित है।

अनुच्छेद 7 प्रदान करता है कि नागरिकता भारत के क्षेत्र के भीतर जन्म से या भारत के नागरिक माता-पिता के वंश द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 8 पंजीकरण या प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता के अधिग्रहण की अनुमति देता है।

अनुच्छेद 9 भारत के नागरिकों को उनकी नागरिकता से वंचित होने से रोकता है और अनुच्छेद 10 भारतीय नागरिकता के त्याग की प्रक्रिया को बताता है।

अनुच्छेद 11 नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति और नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में संसद को कोई प्रावधान करने का अधिकार देता है।

कुल मिलाकर, भारत के संविधान का भाग II भारत में व्यक्तियों की नागरिकता के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है और नागरिकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को निर्धारित करता है।